# ज्ञान तत्व (201)

(क) प्रसिंद्ध रंग कर्मी तथा नुक्कड नाटक कार श्री आनन्द गुप्त द्वारा लिखित बजरंग जी के प्रमुख विचारों का संक्षिप्त विवरण मुनि मंथन पुस्तक के रूप में

(ख) अग्निवेष जी की समीक्षा

(ग) नक्सलवाद पर दिग्विजय सिंह तथा शांतिदूतो की आलोचना

(घ) सुरेन्द्र मोहन जी के नक्सलवाद संबंधी विचारों की समीक्षा

# मुनि मंथन

लेखक – आनन्द कुमार गुप्त

(क) मै बजरंग लाल जी को अपने बचपन से ही जानता हूँ । मैं जब बहुत छोटा था तभी मुझे बजरंग लाल जी में कुछ विलक्षण प्रतिभा का अनुभव हुआ और मैने उन्हें अपना गुरू मान लिया जिसे उन्होने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अभी तो मै स्वंय ही सीखने के क्रम में हूँ । फिर भी उन्होने मुझे एक मंत्र दिया कि जीवन में निरंतर मानसिक व्यायाम द्वारा अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करो । मै निरंतर उनके इस कथन को याद रखा और आज मैं जहॉ तक जा सका हूँ वह उनके इस बीज मंत्र का ही परिणाम है।

बजरंग लाल जी अग्रवाल ने भले ही मुझे शिष्य न माना हो किन्तु मै तो उन्हे अपना मार्गदर्शक मानता ही हूँ । उन्होने पचपन वर्षो तक कठोर साधना की और विश्व के अनेक सामाजिक रहस्य सुलझाये । इनकी बातें बचपन से ही सहज सरलबोधगम्य होती थी , किन्तु उन पर सहज विश्वास किसी को नही होता था । अब उन्होने साधना पूरी घोषित करके वानप्रस्थ ले लिया और बजरंग मुनि हो गये हैं । उन्होने पचीस दिसम्बर दो हजार आठ को अपना शेष जीवन समाज को समर्पित कर दिया ।

बचपन में मै उनकी बातें सुनता था तथा उनपर श्रद्धा के कारण विश्वास कर लेता था किन्तु यथार्थ का बोध नहीं होता था । अब धीरे धीरे यथार्थ बोध होना शुरू हुआ और लगा कि उनकी एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है । तीस चालीस वर्षो से वे ज्ञान तत्व के माध्यम से बराबर अपने विचार समाज को दे रहे है। उन विचारो में से कुछ तो ऐसे है जो विश्व स्तरीय विलक्षण खोज के रूप मे स्थापित हो रहे है।

मुनि जी ने पहली बार धर्म, राज्य और समाज की अलग अलग स्पष्ट व्याख्या की । अब तक राज्य समाज को अपने साथ जोड़ लेता था तो धर्म अपने साथ । कहीं कहीं तो जाति भी समाज शब्द को जोडने लगी थी । मुनि जी ने बताया कि समाज सर्वोच्च होता है, धर्म उसका सहायक और राज्य उसका रक्षक । तीनो का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तीनो एक दूसरे के पूरक भी होते है किन्तु समाज हमेशा धर्म और राज्य से उपर रहा है। लोकतंत्र मे व्यक्ति सर्वोच्च होता है तथा धर्म, राज्य व समाज पूरक । साम्यवाद में राज्य सर्वोच्च होता है तथा धर्म, व्यक्ति, समाज पूरक । इस्लाम में धर्म सर्वोच्च होता है तथा राज्य, व्यक्ति, समाज पूरक । भारतीय संस्कृति में समाज सर्वोच्च होता था तथा राज्य, धर्म ,व्यक्ति पूरक । दुर्भाग्य से भारतीय संविधान बनाने वालों ने भारतीय व्यवस्था में राज्य ,धर्म और व्यक्ति को तो महत्व दिया किन्तु समाज को संविधान से बाहर कर दिया ।

मुनि जी के अनुसार भारत में तीन प्रकार के प्रयोग हुए 1. राज्य का 2. धर्म का 3. समाज का । राज्य का अर्थ होता है शासन । इसमें अधिकार उपर से नीचे आते हैं। राष्ट्र ,प्रदेश, जिला , ब्लाक, व्यक्ति का क्रम होता है । धर्म में न शासन होता है न अनुशासन । धर्म में कर्तव्य होता है और क्रम होता है व्यक्ति,परिवार, जाति,वर्ण धर्म । समाज में अनुशासन होता है, अधिकार नीचे से उपर जाते हैं तथा क्रम होता है व्यक्ति, परिवार,गॉव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र,समाज । धर्म व्यवस्था से समाज व्यवस्था अच्छी होती है किन्तु गुलामी के हजार वर्षो में समाज व्यवस्था टूटी और धर्म या राज्य व्यवस्था मजबूत हुई । स्वतंत्रता के बाद समाज व्यवस्था को जान बूझकर तोड़ा गया तथा जाति धर्म व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया । जाति, वर्ण,धर्म व्यवस्था की अपेक्षा परिवार, गॉव,जिला, राष्ट्र,समाज व्यवस्था को बढ़ाना चाहिये ।

मुनि जी ने यह भी कहा कि व्यक्ति,परिवार और समाज के न्यूनतम और अधिकतम अधिकारों का स्पष्ट विभाजन आवश्यक है । ऐसे स्पष्ट विभाजन के अभाव में आपसी टकराव होते रहते हैं जिनका लाभ उठाकर राज्य अनावश्यक कानून बना बना कर समाज पर थोपता रहता है । व्यक्ति के अधिकार तो कुछ परिभाषित भी हैं किन्तु परिवार गॉव और समाज के बिल्कुल परिभाषित नहीं हैं जो होना चाहिये ।

मैंने स्वयं भी इस विषय पर सोचा तो लगा कि आज सम्पूर्ण भारत में राज्य,धर्म और समाज की स्पष्ट व्याख्या करने वाला एक भी विद्वान नहीं दिखता । आम तौर पर लोग समाज को अलग समझते ही नहीं । कोई यह बात भी नहीं सोचता कि धार्मिक त्यौहार और सामाजिक त्यौहार अलग अलग होते हैं । मुनि जी की समाज सर्वोच्च व्याख्या भले ही अब तक प्रचारित नहीं हो पाई है किन्तु स्पष्ट है कि यहीं एकमात्र मार्ग है जो समस्याओं का समाधान कर सकता है ।

मुनि जी ने सम्पूर्ण विश्व में पहली बार अपराध, गैर कानूनी तथा अनैतिक का वर्गीकरण किया। अब तक तो पूरा विश्व तीनों का घालमेल करता रहता है । मुनि जी के अनुसार व्यक्ति के अधिकार तीन प्रकार के हैं 1. मौलिक अधिकार 2. नागरिक या संवैधानिक अधिकार 3.सामाजिक अधिकार । व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंधन अपराध होता है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंधन गैर कानूनी होता है तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंधन अनैतिक होता है । मौलिक अधिकार कुल चार प्रकार के होते हैं 1. जीने का 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 3. सम्पत्ति का 4. स्व निर्णय का । हमारे संविधान निर्माताओं को मौलिक अधिकारों की परिभाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने परिभाषाओं को भ्रम पूर्ण बना दिया । मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक होते है । दुर्भाग्य से व्यक्ति और नागरिक को अलग अलग न मानकर एक मान लिया गया जिससे भ्रम पैदा हुआ । भारत में तो यहॉ तक झूठ प्रचारित हुआ कि संविधान मौलिक अधिकार देता है । सच बात यह है कि संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान इन अधिकारों में कोई कटौती कभी नहीं कर सकता चाहे वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो या न हो । जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह भी समाज का अंग तो है ही तथा उसके भी मानवीय अधिकारों का उल्लंधन ही नहीं किया जा सकता ।

मुनि जी के अनुसार कुल अपराध पांच प्रकार के होते हैं 1. चोरी डकैती लूट 2. बलात्कार 3. मिलावट कमतौल 4. जालसाजी धोखा 5. हिंसा बल प्रयोग आतंक । अन्य सभी कार्य या तो गैर कानूनी होते हैं या अनैतिक किन्तु अपराध नहीं होते । एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत में अपराधों का प्रतिशत अधिकतम दो है । किन्तु राज्य गैरकानूनी और अनैतिक को भी अपराध कहकर समाज की निन्यान्नवे प्रतिशत आबादी में अपराध भाव जागृत कर देता है । राज्य और धर्म की समाज के प्रति नीयत खराब है । वे दोनों समाज को गुलाम बनाकर उस पर नित नये नये कानून थोपते रहते हैं और ऐसे गुलामी के कानून

टूटने पर समाज को दोष देते रहते हैं जबकि समाज इसमें कहीं दोषी नहीं होता । भारतीय संविधान ने तो समाज को इस सीमा तक असहाय बना दिया है कि वोट देने के अतिरिक्त समाज के सारे अधिकार संसद ने अपने पास समेट लिये हैं । संसद जब चाहे, समाज परिवार गांव को अधिकार दे और जब चाहे वापस ले ले । संविधान ने भिखारी को दाता बना दिया है ।

मैने भी बहुत सोचा । मुनि जी से प्रत्यक्ष चर्चा भी की। उनका सोच विश्व स्तरीय है । आज तक दुनिया के किसी भी विद्वान ने अपराध, अनैतिक गैर कानूनी, मूल अधिकार आदि की इतनी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी । पाठक इस विषय पर मुनि जी के साहित्य पढ़कर और जानकारी ले सकते हैं ।

अपराध नियंत्रण पर भी मुनि जी ने स्पष्ट व्याख्या दी । उन्होंने बताया कि गुलामी या तानाशाही शासन व्यवस्था में तो सामाजिक हिंसा की आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है किन्तु लोकतंत्र में सामाजिक हिंसा की आवश्यकता पर विचार भी उचित नहीं । इस समय भारत में साम्यवाद, इस्लामिक संगठन तथा संघ परिवार सामाजिक हिंसा की वकालत करते हैं जो गलत है ।इन तीनों संगठनों की सोच किसी भी तरह ठीक नही है । साथ ही गांधी जी का राज्य व्यवस्था मे न्यूनतम हिंसा का सुझाव भी गलत है । राज्य को न्यूनतम हिंसा के स्थान पर संतुलित हिंसा का प्रयोग करना चाहिये । यदि राज्य आवश्यकता से कम बल प्रयोग करता है तो समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है । वर्तमान में राज्य आवश्यकता से कम बल प्रयोग पर चल रहा है । उसे और कठोर कानून बनाना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो खुली फांसी का भी उपयोग हो सकता है और यदि उसके बाद भी अपराधों पर रोक न लगे तो अल्प काल के लिये गुप्तचर न्यायपालिका विधि का भी उपयोग हो सकता है । न्याय और सुरक्षा राज्य का दायित्व है । अन्य जनकल्याणकारी कार्य उसका दायित्व न होकर स्वैच्छिक कर्तव्य है । धूर्त लोग कर्तव्य और दायित्व की परिभाषा बदल देते हैं जिससे भ्रम पैदा होता है । दायित्व वह होता है जो दूसरे पक्ष का अधिकार बन जाता है जबकि कर्तव्य दूसरे पक्ष का अधिकार नहीं होता । अपने दायित्व की अवहेलना करके कर्तव्य की ओर हाथ पैर पटकना उचित नहीं किन्तु राज्य अभी वैसा ही कर रहा है ।

मुनि जी ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी कहा कि जो लोग मानवाधिकार सम्मान का वचन दें उनके मानवाधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी जाय। भारत के आम नागरिक इस श्रेणी में आते हैं । जो लोग वचन न दें उनके मानवाधिकार की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है दायित्व नहीं। इस दूसरी श्रेणी में संघ परिवार, इस्लामिक संगठन साम्यवादी या कुछ सीमा तक सिख संगठन भी शामिल हैं । किन्तु जो लोग मानवाधिकार हनन की खुलेआम घोषणा करें उनके मानवाधिकार की चिन्ता करना व्यर्थ है । ऐसे संगठनों में नक्सलवादी, अभिनव भारत, सिमी या अन्य आतंकवादी शामिल हैं । मुनि जी ने स्पष्ट किया कि किसी अपराधी का फर्जी इनकाउण्टर कोई अपराध न होकर एक गैर कानूनी कार्य है । ऐसे फर्जी एनकाउन्टर पर हाय तौबा मचाना या तो राज्य का कर्तव्य है या पेशेवर मानवाधिकारवादियों का दायित्व । समाज को तो ऐसे फर्जी एन्काउन्टर पर तभी चिन्तित होना चाहिये जब उसे विश्वास हो जाय कि किसी शरीफ आदमी के साथ अन्याय हुआ है।

नक्सलवाद की चर्चा करते हुए मुनि जी ने कहा कि नक्सलवाद वर्तमान में सत्ता संघर्ष हैं । राज्य संवैधानिक तरीके से समाज को गुलाम बनाकर रखने की कोशिश करता है तो नक्सलवाद ऐसे संविधान को बन्दूक की जोर पर हटाकर अपनी तानाशाही लादना चाहता है । दोनों की ही नीयत खराब है किन्तु नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक है । दोनों से मुक्ति का मार्ग निकालना चाहिये जिसका सफल प्रयोग रामानुजगंज में हुआ है । रामानुजगंज में ग्राम सभा सशक्तिकरण का प्रयोग हुआ जिसके अनुसार सशक्त

ग्राम सभा अधिकतम शक्तिशाली होगी । ग्राम सभा का स्वरूप प्रारंभ में पांच मुद्दों पर केन्द्रित होगा। 1. लोक और तंत्र के बीच की दूरी का कम होना 2. अहिंसक समाज व्यवस्था 3.वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना 4. भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत 5. ग्रामीण उपयोग तथा उत्पादन की वस्तुऍं कर मुक्त व नियंत्रण मुक्त करने हेतु राज्य से निवेदन । राज्य और नक्सलवादी इन मांगों को जिस सीमा तक स्वीकार करते है उसी सीमा तक उनकी सहायता या विरोध होता है । ग्राम सभा को सशक्त बनाने का अर्थ है समाज सशक्तीकरण।

मुनि जी ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक एकता को राज्य सर्वाधिक खतरनाक मानता है । इसके लिये वह आठ आधारों ''1. धर्म 2. जाति 3. भाषा 4. क्षेत्रीयता 5. उम्र 6. लिंग 7.गरीब अमीर 8. उत्पादक उपभोक्ता '' पर समाज में वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष का विस्तार करता है । ऐसा वर्ग विद्वेष सामाजिक विघटन का मुख्य आधार होता है । सभी राजनैतिक दल सभी आठ आधारों पर वर्ग विद्वेष का सहारा लेने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं । ग्राम सभा ऐसे आधारों से मुक्त रहेगी । सरकारी ग्राम पंचायतों के स्थान पर सामाजिक लोक पंचायतों का गठन होना चाहिये जो समाज सशक्तीकरण का कार्य करें ।

मुनि जी ने बताया कि किसी भी प्रकार का आरक्षण अव्यवस्था भी बढ़ाता है और अन्याय भी । पुराने जमाने में धूर्त लोगों द्वारा लागू आरक्षण ने अनेक समस्याऍं पैदा की । वर्ण व्यवस्था को कर्म से बदलकर जन्म पर आधारित बना देना ऐसा ही आरक्षण था । उस समय धूर्त सवर्णो ने शरीफ अवर्णो के साथ भरपूर अन्याय किया था। अब धूर्त अवर्णो ने धूर्त सवर्णो से समझौता करके शरीफ सवर्णो के विरूद्ध अत्याचार शुरू किया है । उस समय भी धूर्त ही लाभ के पद पर थे और आज भी हैं । अन्तर यह हुआ है कि ऐसे शोषकों में कुछ प्रतिशत धूर्त अवर्णो का भी शामिल हो गया है । सब प्रकार के आरक्षणों का यही परिणाम है चाहे वह महिला आरक्षण हो या आदिवासी आरक्षण अथवा कोई और। पांच सात प्रतिशत धूर्तो द्वारा अपने वर्ग के नाम पर अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक सुख सुविधाओं की लम्बे समय तक गारंटी का नाम ही आरक्षण है । मुनि जी ऐसे किसी भी आरक्षण के विरूद्ध हैं । उनका मानना है कि इस समय शराफत को धूर्तता से बचाने की जरूरत है । यदि समाज शराफत को शत प्रतिशत आरक्षण दे दे तो वह आज की पहली आवश्यकता है । अन्य सभी आरक्षण ऐसे प्रयत्नों में बाधक ही हैं साधक नहीं ।

मुनि जी ने लोकतंत्र की एक नई व्याख्या की कि लोकतंत्र दो प्रकार का है 1 आदर्श 2 आयातित । आदर्श लोकतंत्र सामाजिक जीवन पद्धति में होता है तथा व्यवस्था का स्वरूप होता है । ऐसा लोकतंत्र लोक स्वराज्य की दिशा में झुका होता है । ऐसा लोकतंत्र पश्चिम के देशों में चल रहा है । आयातित लोकतंत्र जीवन पद्धति मे ंन आकर सिर्फ शासन पद्धति तक ही आता है । यह सत्ता का स्वरूप होता है । यह तानाशाही की दिशा में झुका हुआ होता है तथा दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेशिया, अफगानिस्तान, इराक, बंगलादेश आदि में चल रहा है । ऐसे आयातित लोकतंत्र का निश्चित परिणाम है अव्यवस्था और ऐसी अव्यवस्था का निश्चित परिणाम है तानाशाही । दक्षिण एशिया के कई देश तो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच अदलते बदलते हैं तथा भारत भी धीरे धीरे उस दिशा में बढ रहा है । साम्यवाद ऐसी अव्यवस्था के विस्तार में सबसे आगे माना जाता है भले ही उस काम का लाभ उन्हें न मिलकर नक्सलवाद को मिल जा रहा है । ऐसे दूषित खतरनाक वातावरण का एक ही समाधान है '' लोकस्वराज्य'' जिसकी पहली कड़ी है ग्राम सभा सशक्तिकरण ।

मुनि जी ने बताया है कि वर्ग विद्वेष को समाप्त करने का एक ही उपाय है समान नागरिक संहिता। कामन सिविल कोड लागू कर देने से यह समस्या दूर हो जायेगी । किन्तु नागरिक संहिता और आचार

संहिता बिल्कुल अलग अलग होती है । आचार संहिता व्यक्ति के व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आचरण तक सीमित होती हे और नागरिक संहिता नागरिक के संवैधानिक, राष्ट्रीय ,नागरिक आचरण तक । नागरिक संहिता तो समान ही होनी चाहिये किन्तु आचार संहिता की अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिये । इन दोनों का अन्तर न समझने से भ्रम पैदा होता है। मुनि जी समान आचार संहिता के विरोधी हैं और समान नागरिक संहिता के पक्षधर ।

मुनि जी ने अपराध नियंत्रण के लिये फांसी की सजा के उपयोग की वकालत की है तो दूसरी ओर दुनिया में पहली बार उन्होंने फांसी की सजा का विकल्प भी बताया है कि ऐसा व्यक्ति दोनों आंख देकर और अंधा बनकर खुला जीवन जीने को तैयार हो तो न्यायालय उसे कुछ शर्तो के साथ जमानत पर छोड़ने की व्यवस्था कर सकता है । मुनि जी का सुझाव विकल्प है बाध्यकारी नहीं । यह सुझाव भी विचार करने योग्य है ।

मुनि जी ने भारतीय संविधान की भी पूरी समीक्षा की है और एक प्रस्तावित संविधान भी तैयार किया है जो पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है तथा ज्ञानतत्व सत्तान्नवे में भी छपा है । मुनि जी ने स्पष्ट किया है कि गांधी भारत में संवैधानिक समाज व्यवस्था चाहते थे और नेहरू, अम्बेडकर, पटेल संवैधानिक शासन व्यवस्था । गांधी संविधान में लोकनियंत्रित तंत्र चाहते थे और नेतागण लोक नियुक्त तंत्र । गांधी जी तंत्र को लोक का मैनेजर बनाना चाहते थे और नेतागण अभिरक्षक या कस्टोडियन । स्वतंत्रता के बाद गांधी नेतागणों के लिये एक बोझ बने हुए थे। क्योंकि नेतागण अपने स्वतंत्रता संघर्ष का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे और गांधी ऐसे लाभ में बाधक थे । मूर्ख गोडसे ने गांधी हत्या करके नेतागणों का रास्ता साफ कर दिया । गोडसे की नीयत खराब नहीं थी । यदि आज गोडसे जीवित होता तो गांधी हत्या के ऐसे दुष्परिणाम को देखकर स्वयं ही आत्महत्या कर लेता । गांधी हत्या होते ही नेतागणों ने संविधान को लोक नियंत्रित से लोक नियुक्त में बदल दिया तथा तंत्र को लोक के प्रबंधक की भूमिका से हटाकर अभिरक्षक अर्थात् कस्टोडियन की भूमिका दे दी । धूर्तता यहॉ तक की गई कि समाज बालिग हुआ या नहीं इसके आकलन की भी कोई स्वतंत्र इकाई न बनाकर इन्होंने अपने पास ही रख ली । ऐसे स्वार्थी तत्व आज गोडसे को गाली देने में सबसे आगे रहते हैं जबकि दुनियां जानती है कि गांधी हत्या में गोडसे का व्यक्तिगत स्वार्थ न होकर भूल थी और अन्य लोगों को उसका व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ मिला । संविधान की परिभाषा होती है ''तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमाऍ निश्चित करने वाला दस्तावेज'' । कानून की परिभाषा होती है तंत्र के न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमाऍ निश्चित करने वाला दस्तावेज । संविधान लोक और तंत्र के बीच द्विपक्षीय समझौता है । लोकतंत्र में व्यक्ति पर शासन का नियंत्रण होता है , शासन पर कानून का , कानून पर विधायिका का, विधायिका पर राज्य व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था पर संविधान का,और संविधान पर विधायिका का । यह संविधान निर्माताओ का घपला है। विधायिका जब स्वयं संविधान की अनुगामी है तो वह संविधान में संशोधन परिवर्धन या परिवर्तन कैसे कर सकती है? विधायिका तंत्र का भाग है जो लोकनियुक्त है लोक नहीं । इस घपले को आधार बनाकर ही आज तंत्र ने लोक को गुलाम बनाकर रख लिया है । यही कारण है कि आज तंत्र से जुड़ा हर व्यक्ति इस संविधान की खुली प्रशंसा करता रहता है । सच्चाई यह है कि नक्सलवाद सहित सभी समस्याओं के बीज भारतीय संविधान से ही निकलते है ।

मुनि जी ने बताया कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान भी भारतीय संविधान में ही है अर्थात् ग्राम सभा सशक्ति करण । ग्राम सभाएँ जागरूक हो और सक्रिय हो जावें तो समस्यायें भी सुलझ सकती हैं तथा लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल सकती है ।

उपरोक्त विचार प्रस्तुति के बाद यह स्पष्ट है कि मुनि जी ने सामाजिक राजनीति पर गंभीर विचार मंथन किया है । किन्तु सामाजिक राजनीति के साथ साथ आर्थिक विषयों पर भी मुनि जी की विश्व स्तरीय सोच है । उनका कथन है कि विश्व में सिर्फ दो ही आर्थिक समस्याएँ हैं 1. गरीब और अमीर के बीच लगातार बढ़ती असमानता 2. श्रम और बुद्धि के बीच बढ.ती दूरी । बाकी सभी आर्थिक समस्याएँ कृत्रिम हैं और समाज को धोखा देने के लिये खड़ी की जाती हैं । महंगाई,बेरोजगारी,सब्सीडी,भ्रष्टाचार नियंत्रण, आदि प्रयत्न धोखा के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।

मुनि जी के अनुसार एक परिभाषा है कि किसी वस्तु की तुलना जिस आधार वस्तु से की जाती है उस आधार वस्तु को स्थिर होना चाहिये। जब आप सभी वस्तुओं के मूल्य का आकलन रूपया से करते हैं तो या तो रूपया को स्थिर रखिये या मूल रूपया के आधार पर गणना संशोधित करिये । स्वतंत्रता के समय गणना का आधार चांदी का रूपया था जो बदलते बदलते आज कागज तक आ गया । स्वतंत्रता के बाद घी महंगा हुआ या सस्ता यह आकलन चांदी का रूपया करेगा या आज का? यदि सरकारी आकलन के अनुसार सन् सैंतालिस से आज तक मुद्रास्फीति पचपन गुना बढ़ी है तो सन् सैतालिस को मूल रूपया मानकर आज की वस्तुओं का आकलन करिये । सोना चॉदी जमीन, कर्मचारी वेतन महंगा हुआ है और बाकी सब सस्ता । महंगाई का हल्ला असत्य भी है और समाज को ठगने की कोशिश भी । इस संबंध में मुनि जी ने व्यापक सर्वेक्षण भी किया है । इसी तरह बेरोजगारी की भी एक झूठी परिभाषा बना ली गई । बेरोजगारी की परिभाषा होनी चाहिये ''किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यतानुसार काम का अभाव '' बुद्धिजीवियों ने चालाकी से परिभाषा बदल दी और योग्यतानुसार काम और काम के अनुसार वेतन बनाकर घपला कर दिया । अब सत्तर रूपया मे काम कर रहा मजबूर श्रमजीवी रोजगार प्राप्त और पांच सौ रूपया में काम न करने को तैयार डाक्टर बेरोजगार । इन लोगों ने चालाकी से श्रम शोषण के लिये दो कानून भी बना लिये 1. शिक्षित बेरोजगार 2. न्यूनतम श्रम मूल्य की सरकारी घोषणा । प्रचारित किया गया कि मानसिक श्रम भी श्रम है । जबकि वह श्रम न होकर बौद्धिक कार्य है । बुद्धिजीवियों ने चालाकी करके शारीरिक श्रम के साथ स्वयं को जोड़ लिया । जबकि शारीरिक श्रम की अधिकतम उत्पादन क्षमता भारत में दो ढ़ाई सौ रूपया प्रतिदिन है और बौद्धिक श्रम की हजारो रूपया प्रतिदिन की । इसी तरह इन लोगों ने चालाकी करके कृत्रिम श्रम मूल्य की भी घोषणा करवा ली । अब छत्तीसगढ़ में न्यूनतम श्रम मूल्य सौ रूपया घोषित है, कृत्रिम श्रम मूल्य एक सौ तीस रूपया से भी अधिक है और बुद्धि का मूल्य तो और भी ज्यादा है । मुनि जी का कथन है कि कृत्रिम श्रम मूल्य श्रम की मांग कम करता है और इसलिये श्रम शोषण का आधार है । यदि कृत्रिम श्रम मूल्य की सरकारी घोषणा बंद कर दी जावे तो बाजार में स्वयमेव श्रम की कुछ मांग बढ़ेगी और बेरोजगारी घटेगी ।

मुनि जी ने अब तक दुनिया में प्रचलित समानता की परिभाषाओं को अवैज्ञानिक बताते हुए नई परिभाषा दी कि ''किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित सीमा रेखा से उपर वालों को समान स्वतंत्रता और नीचे वालों को समान सुविधा''। मुनि जी के अनुसार समानता की यह परिभाषा स्वतंत्रता और सहायता के बीच व्यावहारिक दृष्टिकोण है । इस संबंध में समाजवादियों ने सबसे अधिक भ्रम फैलाया । इसी तरह मुनि जीने यह भी बताया है कि कृत्रिम ऊर्जा यथा '' डीजल, बिजली, पेट्रोल,किरासन, रसोई गैस, कोयला'' श्रम

की प्रतिस्पर्धी हैं और बुद्धि सहायक । बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने षड़यंत्र पूर्वक कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि पर रोक लगा रखी है । मनमोहन सिंह सरकार के आने के बाद तो यह षडयत्रं, और भी मजबूत हुआ क्योकि पिछले छः वर्षो मे मुद्रा स्फीति के आधार पर कृत्रिम उर्जा के मूल्य में सैंतीस प्रतिशत का संशोधन होना चाहिये था जो अभी अभी बहुत मुश्किल से सात प्रतिशत करीब हुआ है और वह भी सिर्फ डीजल पेट्रोल बिजली में । यदि कृत्रिम उर्जा को महंगा किया जाता तो एक ओर तो श्रम की मांग बढ़ती तो दूसरी ओर सरकार जिस ग्रामीण गरीब श्रमिक कृषि उत्पादन और उपयोग की वस्तुओं पर कर लगाकर राजस्व पूरा करती है उस पाप से भी बचा जा सकता था । मुनि जी इस टैक्स को अमानवीय पाप की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि साईकिल पर चार सौ रूपया प्रति साइकिल कर और रसोई गैस पर सब्सीडी, अपनी जमीन पर पैदा पेड़ों पर भारी कर और ट्रेक्टर पर छूट खाद्य तेलों पर आठ रूपया प्रति लीटर कर और मिट्टी तेल पर सब्सीडी आदि अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो पाप भी है और अमानवीय भी । छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने खेत में पैदा गन्ने से गुड़ बनाने या स्वतंत्र गन्ना बिक्री पर रोक लगा दी जिससे मिलों को सस्ता गन्ना मिले, जिससे मिलों से सस्ती शक्कर सरकार ले सके, जिससे सरकार विदेशों में निर्यात करके बजट घाटा कम कर सके और जिससे खाड़ी देशों से अधिक डीजल पेट्रोल आ सके। किसान को सरकारी खजाना भरने वाली मशीन मान लिया गया है । यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो जावे तो भारत की सभी आर्थिक समस्याएँ सुलझ जायेगी । किन्तु सरकार बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों के दबाव में यह नहीं करना चाहती भले ही इसके बदले श्रम शोषण ही क्यों न करना पड़े ।

मुनि जी बताते है कि पश्चिम के देश श्रम अभाव देश हैं और भारत श्रम बहुल देश । यह तथ्य भुला देने के कारण यह भूल निरंतर जारी है । मुनि जी का मानना है कि यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़ाकर गरीबी रेखा के नीचे वालों को बराबर बराबर जीवन भत्ता घोषित कर दे तो जनता इस मूल्य वृद्धि को सहर्ष स्वीकार कर लेगी । आप कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि करें और तंत्र का वेतन भत्ता बढ़ावे यह उचित नहीं । मुनि जी ने आकलन करके बताया है कि भारत की एक प्रतिशत आवादी को एक हजार रूपया मासिक का जीवन भत्ता घोषित करके कृत्रिम उर्जा पर मूल्य वृद्धि करें तो वह एक प्रतिशत वृद्धि होती है । अर्थात् बीस प्रतिशत मूल्य वृद्धि पूरी गरीबी रेखा ही खतम कर सकती है। किन्तु कोई भी सरकार ऐसा इस लिये नहीं कर सकती क्योंकि इससे तो उसका बुद्धिजीवी पूंजीपति वर्ग नाराज हो सकता है ।

मुनि जी ने बताया कि भ्रष्टाचार वास्तव में न अपराध होता है न अनैतिक । भ्रष्टाचार सिर्फ गैर कानूनी होता है । भ्रष्टाचार की परिभाषा होती है ''मालिक से छिपाकर ली गयी घूस'' । प्रश्न उठता है कि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था मे मालिक तंत्र है या लोक । यदि लोक मालिक होता तब भ्रष्टाचार अपराध होता किन्तु अभी तो तंत्र मालिक है। भ्रष्टाचार इस लिये बढ रहा है कि तंत्र लोक को अधिकाधिक गुलाम बनाकर रखने के लिये नित नये नये कानून बना रहा है । यदि सरकारी करण को समाप्त कर दिया जाय और राज्य अनावश्यक कानून हटा ले तो भ्रष्टाचार का उत्पादन घट जायेगा और तब उस सीमित भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है ।

मुनि जी ने सामाजिक , राजनैतिक, आर्थिक विषयों के साथ साथ धर्म के मामले में भी खूब सोचा है। मुनि जी ने धर्म की परिभाषा बताई कि'' किसी अन्य के हित में किये गये निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते हैं''। संगठन कभी धर्म नहीं हो सकता । धर्म की परिभाषा बौद्ध काल मेंबदलकर संगठनात्मक हुई, इसाई काल में उसमें से तर्क निकलकर सेवा और प्रेम जुड़ा , मुस्लिम काल में तर्क और अहिंसा निकल कर बल

प्रयोग शामिल हुआ और साम्यवादी काल में सब कुछ निकल कर सिर्फ बन्दूक ही रह गई । साम्यवाद धर्म का निकृष्टतम रूप है और हिन्दूत्व श्रेष्ठतम । धर्म गुण प्रधान होता है और संगठन संख्या या शक्ति प्रधान । हिन्दुत्व का विस्तार तर्क के आधार पर होता रहा, इसाइयत का सेवा सद्भाव और धन, इस्लाम का संगठन शक्ति और साम्यवाद का बन्दूक । यदि हम वर्ण व्यवस्था को जन्म से अस्वीकार करके कर्मानुसार मान लें तो हिन्दुत्व ब्राम्हण प्रवृत्ति प्रधान व्यवस्था है , इसाइयत वैश्य प्रधान, इस्लाम क्षत्रिय प्रधान और साम्यवाद शूद्र प्रधान । हिन्दुत्व दुनिया की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसने धर्म परिवर्तन पर एकपक्षीय रोक लगा रखी है अन्यथा बाकी सब तो दिन रात छीना झपटी में ही लगे रहते हैं । यह हिन्दुत्व के लिये गर्व का विषय है । अन्यों को ऐसी छीना झपटी पर विचार करना चाहिये ।

मुनि जी के अनुसार संघ विचार हिन्दुत्व का उसी तरह धर्मान्तरण है जैसे इस्लाम इसाइयत या साम्यवाद क्योंकि उसमें गुण के स्थान पर संख्या, तर्क के स्थान पर सेवा या संगठन शक्ति तथा विचार मंथन की जगह प्रचार का सहारा लिया जाता है । वर्तमान संकट हिन्दुत्व से भी अधिक धर्म, शराफत या सम्पूर्ण मानवता के समक्ष है । पिछले दो हजार वर्षो में दुनिया में सर्वाधिक अत्याचार और हत्याएँ धार्मिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है और दूसरा नम्वर राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का है । आपराधिक हत्याएँ तीसरे क्रम में है ।

मुनि जी ने कहा कि भारत को धार्मिक टकराव रोकने हेतु पहल करनी चाहिये । उसे तत्काल कानून बनाकर समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिये तथा धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों को भी गैर कानूनी बना देना चाहिये । भारत एक सामूहिक परिवार है जिसमें कोई अल्प संख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा ।

धर्म और संस्कृति को भी मुनि जी ने अलग अलग परिभाषित किया । उन्होने बताया कि '' किसी व्यक्ति द्वारा बिना सोचे किये गये कार्य की बार बार पुनरावृति को आदत कहते है। यह आदत बहुत लम्बे समय तक चलती रहे तो उसका संस्कार बन जाती है और यदि किसी इकाई का बहुमत वैसे संस्कार अपना ले तो वह उस इकाई की संस्कृति बन जाती है । भारत की पुरानी संस्कृति हिन्दुत्व के गुण अवगुण प्रधान थी। नौ सौ वर्षो की गुलामी मे हिन्दू संस्कृति में कुछ बदलाव आया जो अब अपना मूलस्वरूप बदल चुकी हैं । वर्तमान में हिन्दू संस्कृति के स्थान पर जो भारतीय संस्कृति आगे आई है उसमें दो संस्कार प्रमुख है (1)कम से कम श्रम मे अधिक से अधिक लाभ की कोशिश चाहे तरीका कुछ भी हो (2)मजबूत से दबना और कमजोर को दबाना । इस संस्कृति का विकास हमारे समक्ष एक बड़े खतरे के रूप मे है।

विवाह के संबंध मे मुनि जी का मत है कि हिन्दू संस्कृति मे पुरूष परिवार का मुखिया होता है, इस्लाम में मालिक तथा इसाइयत में सहयोगी । हम परिवार की नई परिभाषा मान ले कि ''संयुक्त सम्पत्ति तथा संयुक्त उत्तर दायित्व के आधार पर एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह '' तो अनेक समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेगी । व्यक्तिगत सम्पत्ति की अवधारणा समाप्त होकर पारिवारिक सम्पत्ति में बदल जायेगी तथा अपराध नियंत्रण भी बहुत आसान हो जायेगा । विवाह,तलाक,जैसे विषय कानून से बाहर होगें। राज्य व्यवस्था मे दो ही वर्ग होंगे (1) कानून का पालन करने वाले (2) कानून का उल्लंघन करने वाले। अन्य वर्ग समाज मे हो सकते है किन्तु कानून मे नहीं।राज्य प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गांरटी देगा। राज्य अपनी सुरक्षा और न्याय की शक्ति का इतना विस्तार करेगा कि वह कम से कम दो प्रतिशत अपराधो को रोक ले । साथ ही राज्य इस सीमा तक ही कानून बनायेगा कि समाज में दो प्रतिशत से ज्यादा अपराध पैदा न हो। यह दो प्रतिशत की सीमा परिस्थिति अनुसार घटाई बढाई जा सकती है ।

समान नागरिक संहिता तथा परिवार की नई परिभाषा के बाद महिला पुरूष के अधिकार पूरी तरह समान हो जायेगे किन्तु वर्ग भेद न होने से विशेषाधिकार का प्रश्न नही होगा । परिवार का मुखिया कौन हो यह परिवार तय करेगा न कि समाज या कानून ।

ऐसा नही है कि मुनि जी अन्य विषयो से विल्कुल अछूते हों। उन्होंने लिखा है कि साहित्य और विचार बिल्कुल भिन्न विषय है जो बिरले ही एक साथ होता है। साहित्य की भूमिका अन्धे की होती है और विचार की लंगडे की । विचार बिना साहित्य की सहायता के आगे नहीं बढ़ सकता और साहित्य बिना विचार के समाज को गलत दिशा दे सकता है। विचार मक्खन है और साहित्य मठा । दोनो का मिश्रण रूपी दूध ही उपयोगी होता है। साहित्य में कला प्रधान होती है हृदय ग्रहय होता है जबकि विचार मे तत्व प्रधान होता है , मस्तिष्क ग्राहय होता है । यदि हम चार भाग करके परिभाषित करें तो मुनि जी के अनुसार उपदेशों मे तत्व होता है मस्तिष्क ग्राहय होता है उपदेशक का आचरण जुडा होता है उपदेशक का व्यक्तिगत ज्ञान होता है। प्रवचन मे कला होती है ह्दय ग्राहय होता है प्रवचन कर्ता का आचरण आवश्यक है ,दूसरो का ज्ञान भी हो सकता है। भाषण मे कला होती है ह्दय ग्राहय है, आचरण आवश्यक नही । शिक्षा में तत्व होता है मस्तिष्क ग्राहय है आचरण आवश्यक नहीं ,दूसरो का ज्ञान होता है । इस तरह मुनि जी ने जटिल वर्गीकरण को सरल करके समझाया है ।इस विषय में अभी उनकी और भी सोच जारी हैं। मुनि जी ने दो टूक लिखा कि प्रतिवद्ध साहित्यकार को चारण या भाट तो कहा जा सकता है किन्तु साहित्यकार नहीं क्योंकि साहित्यकार पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिये ।वर्तमान भारत में यह भी एक संकट है कि प्रतिवद्धता की लहर चल रही है । नेता ,साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता किसी निश्चित विचारधारा के अंतर्गत इकट्ठे होकर ऐसा गिरोह बना लेते है कि तीनो योजनावद्ध तरीके से एक दूसरे की मदद करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान तक भी एक दूसरे को दिलाने में कामयाब हो जाते है।

मुनि जी ने ज्ञान और शिक्षा की भी अलग अलग विवेचना की । शिक्षा दूसरों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष होती है और ज्ञान स्वयं के अनुभव का निष्कर्ष । ज्ञान का महत्व बहुत अधिक होता है और आवश्यक नही कि ज्ञान के साथ शिक्षा भी जुडी हो । एक अति शिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है और एक अशिक्षित भी ज्ञानी । अनेक अशिक्षित बुजुर्ग जटिल समस्याओं को ठीक ठीक समाधान निकाल लेते है । यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम एक पक्षीय रूप से ज्ञान की अवहेलना कर रहे है । शिक्षा का चरित्र से संबंध नही होता जबकि ज्ञान का होता है । भारत में शिक्षा के तीव्र विस्तार के बाद भी तीव्र चरित्र पतन एक शोध का विषय है । यदि शिक्षा के साथ ज्ञान को भी महत्व देने की योजना बने तो कुछ सुधार संभव है।

मुनि जी ने भूत प्रेत तंत्र मंत्र को भी परिभाषित करने की कोशिश की है । उनकी परिभाषा है कि ''प्रकृति के अन सुलझे रहस्य भूत होते है ''इसी तरह उन्होने सुख दुख की परिभाषा बताई कि '' किसी कार्य के संभावित परिणाम का आकलन और यथार्थ की मात्रा का अंतर ही सुख दुख की मात्रा होती है ''इसी तरह मुनि जी ने सामाजिक असामाजिक समाज विरोधी शब्दों की पृथक व्याख्या की है, जिसके अनुसार एक एक्सीडेन्ट ट्रेन के कराहते हुऐ यात्रियो की सेवा करने वाला सामाजिक , दूर रहने वाला असामाजिक तथा सामान लूटने वाला समाज विरोधी होता है। मुनि जी के अनुसार वर्तमान समय में असामाजिक लोगों को साथ जोड़ने की आवश्यकता है जिससे कि समाज विरोधियो को अलग थलग किया जा सके ।

मुनि जी ने अन्य अनेक विषयो पर अपने विचार व्यक्त किये है किन्तु सबका उल्लेख यहॉ संभव नही। कुछ  उदाहरण ही पर्याप्त है । मुनि जी के जिन विचारों का उपर उल्लेख किया गया है उनमे से अनेक ऐसे है जो विश्व स्तरीय है । मुनि जी ने चुनौती दी है कि उनके किसी निष्कर्ष को असत्य सिद्ध किया जा सके तो वे तुरंत उसे स्वीकार कर लेंगे । यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी विषय पर खुली चर्चा हेतु आमंत्रित करे तो वे अपने खर्च से आने के लिये भी तैयार हैं । उनका कहना है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने सत्य को भ्रमित करके असत्य स्थापित करने में जो सफलता पाई है उसे चुनौती देना आवश्यक है ।

मैं नहीं कह सकता कि मुनि जी की सभी बातें सही ही होंगी । स्वयं मुनि जी भी ऐसा दावा नहीं करते किन्तु मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी सभी बातों में दम है और उन पर गंभीर विचार मंथन होना चाहिये । पहले तो मेरे मन में मुनि जी के प्रति श्रद्धा भाव था और मैं उनकी बातों को समझता कम था मानता अधिक था लेकिन अब मुझे उनकी बातों में यथार्थ दिखता है

यदि दुनिया का कोई विद्वान मुनि जी के कथन से असहमत है तो उसे असहमति व्यक्त करनी चाहिए । तीस चालीस वर्षो से मुनि जी ज्ञान तत्व के माध्यम से अपने विचार दे रहे हैं किन्तु अन्य विद्वान न तो उस पर तर्क वितर्क करते हैं न ही स्वीकार करते हैं। तीस चालीस वर्षो से मुनि जी लगातार लिख रहे है कि साइकिल पर तीन सौ रूपया कर लगाना और रसोई गैस पर सब्सीडी देना गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के साथ धोखा है । इसके बाद भी किसी ने कभी इस की गभीर विवेचना नहीं की । यहॉ तक कि समाजवादी और वामपंथी भी चुप हो जाते हैं किन्तु उत्तर नहीं देते । अब उन्हें कुछ न कुछ उत्तर देना ही होगा । बीस तीस वर्षो से मुनि जी संघ परिवार से पूछते हैं कि समान नागरिक संहिता और हिन्दू राष्ट्र एक साथ कैसे संभव है  ? कोई न उत्तर देता है न सुधार करता है । अब समाज ऐसे तत्वों को मजबूर करे कि वे मुॅह खोले और प्रश्न करें और उत्तर दें । विचार मंथन आवश्यक है ।

मैं बचपन से ही मानता हूॅ कि मुनि जी में कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक विशेष प्रतिभा है किन्तु मुनि जी उसे सिरे से खारिज करते रहे हैं। उनका कथन है कि उन्होंने बचपन से ही मानसिक व्यायाम किया है और उसी का परिणाम है कि वे इतना आगे तक बढ पाये । अब मुझे भी उनके कथन में यथार्थ दिखता है । रामानुजगंज में जिन लोगों ने भी उनके मार्ग दर्शन में मानसिक व्यायाम किया वे सब उल्लेखनीय प्रगति करने में सफल रहे हैं । मुनि जी का कथन है कि यह उनके प्रभाव का परिणाम न होकर मानसिक व्यायाम का परिणाम है। अब भी जो व्यक्ति मानसिक व्यायाम करेगा उसे उसका लाभ मिलेगा ही । यदि माह में एक बार भी एक घंटे के लिये यह व्यायाम कर लिया जावे तो व्यक्ति जीवन में किसी से ठगा नहीं जायेगा तथा वह जीवन में कभी निराश नहीं होगा या आत्म हत्या नहीं करेगा । इतनी मुनि जी गारंटी देते हैं ।

मुनि जी ने पचीस दिसम्बर दो हजार आठ के बाद समाज मे विचार देने शुरू किये हैं । तब तक के पचपन वषों तक तो वे स्वयं ही ज्ञान संग्रह में लगे रहे । अब धीरे –धीरे उनके विचार समाज के समक्ष आने लगे हैं । मैं जानता हूॅ कि मैने मुनि जी के कुछ विचारों की गहन समीक्षा की है। अनेक परिभाषाऍ ऐसी है जिनके स्तर की समीक्षा मैं नही कर सकता क्योकि उनकी वर्तमान परिभाषाऍ क्या है यह मुझे पता नही किन्तु मुनि जी की कुछ परिभाषाऍ तो अवश्य ही है जो तर्क संगत भी है और बिल्कुल नयी भी । मुनि जी ने अपराध गैर कानूनी और अनैतिक को अलग अलग किया । यह परिभाषा बिल्कुल नयी भी है और तर्क संगत भी । यदि यह परिभाषा लागू हो जावे तो अनेक समस्याऍ अपने आप सुलझ जायेगी। मुनि जी

ने संविधान को भी परिभाषित किया । अब तक सत्रहवीं शताब्दी के पश्चिमी विद्वान की ही परिभाषा मान्य है। और हम उसे ही भारत में भी ढो रहे है । यह परिभा्षा अपनी उपयोगीता खो चुकी है । मुनि जी ने रोजगार को शारीरिक श्रम के साथ जोडकर परिभाषा बनाई । वह भी न्याय संगत है । बेरोजगार और उचित रोजगार के लिये प्रतिक्षारत एक नहीं हो सकते क्योकि दोनो की मजबूरी में आसमान जमीन का फर्क है। मुनि जी ने सामाजिक असामाजिक और समाज विरोधी की भी अलग अलग परिभाषा प्रस्तुत की जो तर्क संगत है । ऐसा लगता है कि यदि हम परिभाषाओं पर ही ठीक से विचार कर ले तो अनेक उलझने दूर हो जायेगी । पता नही अब तक दुनियां के विद्वानों ने इन विषयों पर इतना गंभीर क्यों नही सोचा। मुझे तो अब यह भी आश्चर्य है कि हमारे भारतीय विद्वान भी पश्चिम की घिसी पिटी परिभाषाओं की आंख मूंदकर नकल तो करते रहे ,किन्तु नयी परिभाषाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया।

इस संबंध मे जब मैने मुनि जी से जानना चाहा तो उन्होने संभावना बताई कि नौ सौ वर्षो की गुलामी में स्वतंत्र विचार मंथन निरूत्साहित होकर राज्याश्रित हो गया था । स्वतंत्रता के बाद भी वह मानसिकता बढती गयी । आज भी समाज पक्षधर स्वतंत्र विचारको को राज्याश्रित लोग पीछे ढकेल कर स्वयं आगे आ जाते है जबकि उनमें से अधिकांश की क्षमता कुछ पुराने पश्चिमी विद्वानों के नाम जानने और उनके विचार संकलित करने से अधिक नहीं होती । कम्प्यूटर जानकारी दे सकता है शिक्षा भी दे सकता है किन्तु ज्ञान नहीं दे सकता जबकि निष्कर्ष निकालने में शिक्षा और जानकारी से भी अधिक ज्ञान आवश्यक है। ऐसी गंभीर बाते आम तौर पर विचारकों की मृत्यु के बाद ही महत्वपूर्ण हो पाती है किन्तु मेरी इच्छा है कि इनमे से कुछ बाते समाज के लिये तत्काल उपयोगी सिद्ध हो तो मेरा प्रयत्न सफल होगा । मुनि जी अब स्वयं तो आर्थिक दृष्टि से शून्य हो चुके है क्योकि पचीस दिसम्वर दो हजार आठ को स्वयं को समाज को समर्पित करते समय ही उन्होने अपने सभी पद और सम्पत्ति का त्याग कर दिया था किन्तु उनका स्वयं का ज्ञान इतना बडा समुद्र है कि उनके समक्ष भौतिक संसाधन कोई महत्व नही रखते । पहले तो मै अकेला था जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता था किन्तु अब एक डेढ वर्ष में पूरे भारत में हजारों ऐसे लोग है जेा मुनि जी के विचारो के प्रति गंभीर है। अभी उनकी उम्र इकहत्तर वर्ष की है मेरी कामना है कि वे भविष्य मे लम्बे समय तक अपनी साधना को जारी रखें और हम सबका मार्ग दर्शन करते रहें।

मुनि जी का काम का ढ़ग भी पूरी दुनिया में अलग तरह का ही है। वे विचार प्रचार पर कभी सक्रिय नही दिखे । ज्ञानतत्व के माध्यम से विचार मंथन को ही आधार बनाकर चल रहे हैं। न कोई प्रचार प्रसार न कोई आंदोलन और न कोई अखबार बाजी । बहुतो ने बहुत प्रकार की सलाह दी किन्तु उनका एक ही उत्तर था कि मेरा काम विचार देना है। जिसे जब जरूरत होगी उपयोग करेंगा । अभी नही ंतो मेरे बाद भी जो विचार प्रमाणित होगा वह काम आयेगा जो नही होगा वह समाप्त हो जायेगा। आज स्थिति यह है कि पचीस तीस वर्ष पूर्व लिखे गये उनके विचार कार्य रूप मे आते जा रहे है । वे तीस पैतीस वर्ष से लगातार लिख रहे है कि सब प्रकार की सब्सीडी बन्द करके एक मुस्त जीवन भत्ता के रूप में दे देना चाहिये। अब हमारी सरकारें उस दिशा में सोचना शुरू कर रही है । उन्होने लगातार प्रत्येक नागरिक के लिये एक विशेष कोड नम्बर की बात की जो इतने वर्ष बाद अब कार्यान्वित हो रही है। उनकी योजना अनुसार रामानुजगंज क्षेत्र में नक्सलबाद नियंत्रण योजना पर काम हुआ जो पूरी तरह सफल रहा । यदि दिसम्बर पंचान्नवे मे तत्कालीन मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी ने योजना पूर्वक मुनि जी की सलाह के विपरीत काम न किया होता तो नक्सलवाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में घुस ही नही पाता । नक्सलवाद समाप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता तो वही है जिसका प्रयोग रामानुजगंज क्षेत्र में हुआ । यह अलग बात है कि सरकारें अन्य जगह उसे दुहराने के प्रति गंभीर नहीं है।

मुनि जी की अन्य अनेक धारणाये भी समाज मे विचार मंथन मे है जो धीरे धीरे देर सबेर प्रभाव में आयेगी ही ।

मुनि जी का मानना है कि विचार मंथन ही दुनियॉ की सभी समस्याओ का समाधान हो सकता है । धूर्त लोग मंथन को निरूत्साहित करके विचार प्रसार को महत्व दे रहें है जो असत्य या अपरिपक्व होने से समाधान की जगह समस्याऍ पैदा कर रहे है । विचार मथंन को तीव्र गति से बढाने की जरूरत हैं। ज्ञान तत्व अभी दुनियॉ की अकेली ऐसी पाक्षिक पत्रिका है जो विचार मंथन को प्रोत्साहित करती है । इसका प्रभाव बहुत धीरे धीरे होता है किन्तु ठीक दिशा में होता है तथा कभी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता । मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्ञानतत्व पढना बहुत उपयोगी है । वार्षिक मूल्य सौ रूपया आजीवन पांच सौ रूपया कोई ज्यादा मूल्य भी नहीं है । निःशुल्क पढ़ने वालो को निःशुल्क भी दी जा सकती है। अधिक से अधिक लोगों को ज्ञानतत्व पढ़ना चाहिये । जो लोग ज्ञानतत्व विस्तार में सहयोगी भी होना चाहे वे कार्यालय से सम्पर्क करके सहयोगी हो सकते है।

मेरा पाठको से निवेदन है कि वे ज्ञानतत्व पढ़ने की आदत डालें । जिससे अहिंसक विचार क्रान्ति की विश्व धारा को बल मिल सके।

समस्याओं के प्रणेता कर कानून नेता।

समाधान का आधार, ज्ञान तत्व विस्तार।।

आनन्द कुमार गुप्त
(महामाया पेटोल पंप के पीछे)
शिवपुर, नमनाकला,
अम्बिकापुर, 9424251851
लेखक नुक्कड नाटककार
तथा मदारीवाणी पत्रिका के सम्पादक है

.

**(ख) प्रश्नः—**पिछले अंक में आपने स्वतंत्रता संघर्ष मे संगठनो की भूमिका की चर्चा करते समय बहुत संतुलित विचार रखे। किन्तु मुझे ऐसा लगा कि आपने आर्य समाज की कुछ अधिक प्रशंसा कर दी। क्या आज का आर्य समाज इतना प्रशंसा योग्य है? कही आप पक्षपात तो नही कर रहें?

**उत्तरः—**मैने आर्य समाज की चर्चा नहीं की है ।आज का आर्य समाज तो चर्चा करने लायक भी नही है। मैं एक दिन आर्य समाज के केन्द्रीय कार्यालय अग्निवेष जी से मिलने गया था । यह कार्यालय दिल्ली में आसफअली रोड पर है बाहर गेट पर पुलिस का भारी पहरा है । पता चला कि आर्य समाज के स्वामित्व के टकराव से सुरक्षा के लिये वर्षो से सरकारी सुरक्षा व्यवस्था है । कई सुरक्षा गार्ड वर्षो से अनावश्यक बैठे हैं।

वर्तमान मे आर्य समाज के सरकार स्वीकृत धड़े के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेष जी हैं। मेरी उनसे कई बार चर्चा होती रहती हैं। स्वामी जी आर्य समाज के अन्तराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुराने समय में एक

सामान्य आर्य समाजी के विषय में यह धारणा थी की वह झूठ नहीं बोलेगा। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तब तो उसके प्रति शत प्रतिशत ही विश्वास होता था। और यदि ऐसा व्यक्ति सन्यासी भी हो तब तो उसके कथन पर अविश्वास हो ही नहीं सकता । आज स्थिति यह है कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सन्यासी अध्यक्ष की छवि एक तिकडमी व्यक्तित्व की बनी हुई है। आम तौर पर माना जाता है कि स्वामी जी में धार्मिक सामाजिक गुणों की अपेक्षा राजनैतिक दुगुर्ण ज्यादा हावी है। सन्यासी होते हुये चुनाव लडने वाले तो आर्य समाज में और भी कई हो चुके हैं किन्तु कूटनीति के क्षेत्र में स्वामी अग्निवेष जी ने सबको पीछे छोड दिया हैं। तिल का ताड बनाने में स्वामी जी ऐसे स्थापित व्यक्तियों में सबसे उपर माने जातें हैं। वैसे तो आम तौर पर आर्य समाजी दहेज, महिला उत्पीडन ,कन्या भ्रूण हत्या,जैसी सामाजिक वुराइयो को दूर करने में लगे रहतें हैं किन्तु स्वामी अग्निवेष जी इनमें कुछ विशेष सक्रिय रहते हैं। बंधुआ मुक्ति का काम तो वे पुराने समय से करते रहे है किन्तु आज कल कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध भी बहुत सक्रिय रहते है। तिल का ताड़ बनाने की आदत से लाचार हैं।

कुछ माह पूर्व उज्जैन भारतीय ज्ञानपीठ में मैं लोक स्वराज्य विषय पर व्याख्यान देने गया था। स्वामी जी ने सप्त क्रान्ति विषय पर ज्ञानपीठ में व्याख्यान दिया । व्याख्यान में उन्होने बताया कि ''कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर बे–हिसाब हिंसा हो रही है । उस छोटी सी बच्ची को आप पेट में मार डाल रहे हैं जिसका कोई अपराध नही है, उसका केवल एक अपराध है कि वह बेटा न होकर बेटी है। क्या यह उसके हाथ मे है ? और बेटी होना कौन सा अपराध है? क्या यह सृष्टि चल सकती है? क्या तुम्हारा राम, तुम्हारा कृष्ण , क्या गुरू गोविन्द सिंह या हजरत मोहम्मद साहब या ईसा मसीह कहीं धरती पर होते बिना मॉ के? बिना औरत के? सब स्वीकार करते है । लेकिन उसके बावजूद पेट में उस बच्ची को मार डाला जा रहा है। एक , दो, पचास, नही करोडो की संख्या में। 1991 से लेकर 2001 के बीच में 3.50 करोड कन्या कम हो गई । 25 करोड बेटियों को हमने बडी बेरहमी से कत्ल कर दिया, बोटी –बोटी कर, नोच– नोच कर उसके टूकडे करके उसे गन्दी नालियों में बहा दिया। जिस बेटी की ऑख नही खुली , होठ नहीं खुले, जो चीख भी नही सकती उस बच्ची को हमने काटकर के फेक दिया,इस अपराध में कि वह बेटा न होकर बेटी है । हमारी ऑखो के सामने यह हिंसा हो रही है । हम कितने परेशान है, कितने आंदोलित है? और यदि हम आंदोलित नहीं है तो हमे क्या अधिकार बनता है कि हम अपने धर्म की शास्त्र की दुहाई दे? क्यो अपने इश्वर को खुदा को , वाहेगुरू को बदनाम कर रहे है? आज ये जलता हुआ, सुलगता हुआ सवाल लेकर आपके बीच में आया हूँ ।मेरे पास अपना कोई जबाब नहीं हैं। दहेज हत्या भी जितनी भयंकर रूप से इस देश में है इतनी शायद दुनियॉ मे कहीं नही । सभी समाजों में कोई हिन्दू, मुस्लिम अलग–अलग नहीं , सबके अंदर यह दहेज की बीमारी है, और दहेज के नाम पर बेटी को, बहू को सता–सता करके मार डालना, जिन्दा जला देना, आतंकवाद से भी भयंकर समस्या है । इस देश में बीमारी से दो,चार ,दसहजार मरते होंगे लेकिन दहेज के आतंकेवाद के द्वारा 25 हजार मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को हर साल जिन्दा जलाया जा रहा है । हम चाह रहे है नारी सशक्ति करण हो । कैसे हो? ये व्याख्यान माला समर्पित होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। आऍ हमारे दूसरे व्याख्यनदाता भी । सबके सब अपने आप को चुनौती दें और आने वाले श्रोताओं को चुनौती दें कि दहेज का लालच भारत की धरती से समाप्त होना चाहिए । हम नहीं कर पा रहे हैं । कन्या भ्रूण हत्या गंवार लोग नहीं कर रहे है । पढ़े–लिखे लोग कर रहे हैं, खाते–पीते लोग कर रहे हैं ।

इसके बाद का हमारा मुद्दा है, भ्रष्टाचार और शोषण मुक्त समाज । शोषण में हमने लिया है जो बंधुआ मजदूर हैं, बाल मजदूरी करते हैं, छोटे–छोटे बच्चों से जो काम करातें हैं, हमारे घरों के

अन्दर । अपने बच्चे को तो सजाकर स्कूल भेजते हैं और दूसरे के बच्चे को कहतेहै कि आकर के हमारे बच्चों के जूते का पॉलिश करें ।ये कैसी मानवता है ?बच्चों से हम मजदूरी करवाते है । यह खाना जो हम खाते हैं, यह कपड़ा जो हम पहनते है, यह चाय जो हम पीते हैं, कहीं न कहीं देखेंगे तो इसके पीछे बच्चे का खून लगा हुआ है । 10 करोड़ बच्चे बाल मजदूर हैं, 10 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं । खेतों में, खदानों में, मकानों में, दुकानों में काम करते हैं इसके खिलाफ आवाज कौन उठायेगा'' ?

वैसे तो मेरी जानकारी अनुसार स्वामी जी तिल का ताड़ बनाने के लिये जगत विख्यात् हैं ही। बाबा रामदेव जी के साथी राजीव दीक्षित जी और स्वामी अग्निवेश जी यद्यपि समकक्ष ही है किन्तु आर्य समाज के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सन्यासी होने से स्वामी जी को झूठ बोलने में अधिक सतर्कता रखनी चाहिये।हम स्वामी जी के हवाई आंकडो की समीक्षा करें । भारत में इस समय कुल महिला पुरूष की आबादी में तीन करोड का अंतर है जो मेरे जीवन के सत्तर वर्षो में धीरे धीरे हुआ है हो सकता है कि उसके पूर्व भी कुछ मात्रा में रहा हो । कुल अंतर है तीन करोड और हमने सन इक्यान्नवे से दो हजार सात तक के सोलह वर्षो में ही पचीस करोड कन्याओ की भ्रूण हत्या कर दी । स्वामी जी के अनुसार कुछ कन्याये भेदभाव पूर्ण भोजन के कारण असमय मर गई और कुछ दहेज अत्याचार दहेज हत्या के कारण । सारी कन्या महिला भ्रूण हत्या के बाद भी अब तक कुल कम हुई तीन करोड । स्वामी जी शेख चिल्ली के समान आकडे दे रहे है। कन्या भ्रूण हत्या को मार्मिक और भावनात्मक रूप देने में भी स्वामी जी ने खूब कलावाजी की है। यदि स्वामी जी के आंकडे सही हैं और पचीस करोड कन्याओ की भ्रूण हत्या नहीं होती तो आज भारत की आबादी कितनी होती ? उसमें महिला पुरूष अनुपात क्या होता ? दहेज घटता कि बढता? समाज में आज महिलाओं की स्थिति में जो सुधार दिख रहा है वह इनकी संख्या पुरूषो की अपेक्षा ज्यादा हो जाने से कितना हो पाता स्वामी जी को तो कुछ फर्क पडता नही क्योकि उन्हे तो इस महिला जन्म वृद्धि का बोझ संभालना नहीं था । बाकी लोगों का क्या होता जब या तो लडकियॉ कुवारी रह जाती या एक पुरूष के साथ कई कन्याओं का विवाह करना पडता। कन्या भ्रूण हत्या के मानवीय और भावनात्मक पक्ष के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार करना चाहिये । सोनिया जी और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को तो महिला वोट के कारण भावनात्मक पक्ष का ध्यान रखना मजबूरी है किन्तु स्वामी जी के समक्ष ऐसी मजबूरी नहीं ।

स्वामी जी ने अपने भाषण में एक और तिल का ताड़ बनाया है कि भारत में दस करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते है । आप इस गणना पर भी विचार करिये । यदि बाल मजदूरी की उम्र दस से अठारह मान ले तो एक सौ बीस करोड़ की आबादी में कुल बच्चे चौदह करोड़ है । चौदह करोड़ वच्चों में से दस करोड़ बाल मजदूर है यह स्वामी जी का कथन है । जरा विचार करिये कि कितने प्रतिशत सच्चाई है । यदि विदेशों से धन प्राप्त करने के लिये ऐसे अंतिरजित आकड़े प्रस्तुत करना स्वामी जी की मजबूरी हो तो कृपया यह सन्यासी के कपडों का उपयोग तो मत करिये । बाल श्रम ,कन्या भ्रूण हत्या बंधुआ मजदुरी जैसी समस्याओ का समाधान करने मे आप लगे हैं यह आपकी स्वतंत्रता है किन्तु असत्य आंकडे देकर समाज को गुमराह करना ऐसी स्वतंत्रता का दुरूप्योग है

मै नही कह सकता कि इस सम्बंध में स्वामी जी के क्या तर्क है। मैं चाहता हूॅ कि स्वामी जी या कोई अन्य विद्वान इस सम्बन्ध में स्पष्ट करे तो मेरा भी भ्रम दूर होगा तथा समाज का भी बहुत लाभ होगा।

# (ख) घटनाएँ

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी सत्ता पलट घोड़े को पकड़ लिया । केन्द सरकार भी छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन मे आई । नक्सलवादियों के लिये भी जीवन मरण का प्रश्न था। नक्सलवादियों ने सरकार की चूक का लाभ उठाकर छिहत्तर सैनिकों की हत्या कर दी। गृह मंत्री चिदम्बरम ने कडा स्टैन्ड लेना चाहा। नक्सलवाद समर्थक मानवाधिकारवादी तथा सर्वोदयियों के हाथ पांव फूल गये।आनन फानन मे रायपुर सें दंतेवाडा तक की शान्ति मार्च का आयोजन हुआ । स्वामी अग्निवेष अरून्धती राय, नारायण देसाई, राधा भट्ट, केयूर भूषण आदि तो लम्बे समय से विख्यात रहे हैं कि जब हिंसक वामपंथी तथा मुस्लिम आतंकवादी खतरे में आवें तो तुरंत शान्ति की आवाज बुलन्द करते हैं । लोकतंत्र के विरूद्ध साम्यवाद तथा हिन्दूत्व के विरूद्ध इस्लाम का समर्थन करने के लिये ये हमेशा खाली रहते हैं। हमने देखा है कि जब कांग्रेस की मनमोहन सोनिया जोडी ने साम्यवादियों से दो दो हाथ करने की ठान ली थी तब एकमात्र थोडे से सर्वोदयी ही दिखे जिन्होने परमाणु बिजली के खिलाफ जन्तर मन्तर पर धरना दिया था और सरकार के विरूद्ध वामपंथ का समर्थन किया था । संसद पर हुऐ आक्रमण के आरोप से मुक्त प्रोफेसर गीलानी को एकमात्र कुछ सर्वोदयवालो ने ही बम्बई मे सम्मान दिया था । बंगाल मे जब वामपंथी भट्टाचार्य और नक्सलबाद के बीच संघर्ष हुआ तब भी इन सबने वामपंथ के विरूद्ध हिंसक नक्सलवाद का समर्थन किया था। लोकतंत्र, अमेरिका, हिन्दुत्व, पूजीवाद ,निजीकरण जैसी किसी भी योजना के विरूद्ध बिना गुण दोष की समीक्षा किये ये समर्थन के लिये तैयार मिलेगें । अभी भी वही हुआ किन्तु छत्तीसगढ़ की जनता से इन शान्ति दूतो का खुलकर विरोध हुआ । रायपुर से लेकर दंतेवाडा तक इन शान्ति दूतो की ऐसी छीछालेदर हुई कि ये छत्तीसगढ़ से बाहर ही जाकर दम ले सके।

इन शान्तिदूतो की गलत नीतियों के कारण बेचारे गांधी को भी कई जगह गांलियॉ सुननी पडी जबकि गांधी पूरी तरह इन नीतियों के विरूद्ध थे। गांधी जी अहिंसा को शस्त्र मानते थे । उनका मत था कि अहिंसक प्रतिरोध हिंसक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। गांधी जी यदि जीवित होते तो वे नक्सलवाद के विरूद्ध अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व करते और उसके बाद सरकार को शान्ति की सलाह देते। हमारे तथा कथित गांधी नाम के व्यवसायी सरकारी हिंसा के खिलाफ ही अहिंसक प्रतिरोध कर रहे हैं और जब सरकार परास्त होकर भारत नेपाल बन जायगा तब ये शान्ति दूत नक्सलियों को शान्ति की सलाह देगें।। जिन लोंगों को आज तक यही नहीं पता है कि प्रतिरोध किसके विरूद्ध करना है और शान्ति की सलाह किसे देनी है उसकी चर्चा कैसे करें यही समझ में नहीं आता।

स्पष्ट है कि वर्तमान मे तीन पक्ष है (1) समाज (2) समाज को गुलाम बनाकर रखने वाला वर्तमान लोकतंत्र (3) वर्तमान लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही लाने वाला नक्सलवाद । समाज वर्तमान लोकतंत्र से मुक्ति के लिये छटपटा रहा है किन्तु उस मुक्ति के लिये वह तानाशाही के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता । हजार बार पूछने के बाद भी नक्सलवादी आज तक नही बता सके कि उनका भावी संविधान कैसा होगा ? यदि ये शान्ति दूत ब्रम्हदेव शर्मा केयूर भूषण या अन्य जो भी हो , ऐसी भावी रूपरेखा की जानकारी रखते हो तो उसे सार्वजनिक करने में कठिनाई क्या है और यदि ऐसी जानकारी नहीं है तो काहे को वहॉ नक्सलवाद के वकील बनने गये थे।

ठाकुर दास जी बंग के नेतृत्व में लोक स्वराज्य की योजना बनी । अमरनाथ भाई ब्रम्हदेव शर्मा राधा भट्ट आदि उस योजना में शामिल रहें।ग्राम सभा सशक्ति करण अभियान शुरू हुआ । दोनो पक्षो से

निवेदन किया गया कि वे ग्राम सभा सशक्ति करण के पक्ष मे सहमत हो ।सरकार ने आंशिक सहमति व्यक्त की । नक्सलवादियों ने कोई उत्तर नही दिया । क्या नक्सलवादी तैयार है कि ग्राम सभा जो भी निर्णय लेगी उसे वे मानेगें ? सरकार ग्राम सभा सशक्ति करण का जैसा नाटक कर रही है , नक्सली तो उतना नाटक भी नहीं कर रहे । यदि नक्सली ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं मान सकते और वर्तमान सरकार ऐसे नक्सलियों पर अमानवीय अत्याचार करे तो हमें क्यों सरकार को समझाने की पहल करनी चाहिये । ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिये राधा भट्ट, केयूर भूषण ,अग्निवेष को फुर्सत नहीं है किन्तु जब सरकार टाइट होने लगी तो ये लोग शान्ति दूत बन कर आ गये । ये लोग गांधी के नाम पर कलंक हैं । ये वास्तव में शान्तिवादी हैं तो नक्सलवाद पर एक सर्वोदय सम्मेलन बुलायें । उस सम्मेलन में खुले विचार विमर्ष को होने दें । मैं उस सम्मेलन में प्रमाणित करूंगा क इन शान्तिदूतों का अति वादी वामपंथ के प्रति अधिक झुकाव है । मैं सबके साथ रहा हूँ तो मुझे अन्दर तक पता तो है ही । क्या दिक्कत है खुली चर्चा में ?जिस मीटिंग में मैं रहूंगा उसमें ये नहीं आयेंगे, क्योंकि पोल खुलने का डर सता रहा है । ये लोग कहीं भी जायें, कुछ भी विचार रखें उससे हमें कोई आपत्ति नहीं । यह उन सबका विशेष अधिकार हैं। मुझे आपत्ति है इन द्वारा गांधी के नाम का दुरूपयोग करने पर। आप गांधी का नाम क्यों शामिल करते है ऐसे गांधी विरोधी कार्यो के लियें। गांधी स्वयं स्वतंत्रता संघर्ष से सम्बद्ध थे। उन्हे लगता था कि हिंसा स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर करेगी। उन्होने हिंसा का विरोध किया । यदि गांधी स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी न होकर किन्ही अन्य समाज सुधार के कार्यो में संलग्न होते किन्तु जब गरम दल के लोग अंग्रेजों के साथ हिंसक लडाई लड़ते तो गांधी गरम दल वालो के विरूद्ध बोलते तो गांधी भी उसी तरह गाली खाते जैसे आप छत्तीसगढ में खाकर आये है। या तो आप स्पष्ट करिये कि आप हिंसक तानाशाही के विरूद्ध कोई अहिंसक संघर्ष की योजना बना रहे है तेा आपकी शान्ति यात्रा को भरपूर समर्थन मिलेगा अन्यथा आप अपनी बात रखिये तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका विरोध नहीं करेंगें किन्तु यदि आपने गांधी का नाम बीच में घुसाकर कुछ किया तो हम आपका अवश्य ही विरोध करेंगें क्योकि न तो गांधी आपका अकेले का है न ही गांधी आप सरीखा कायर है जो हिंसा के विरूद्ध खडा न होकर हिंसक मनोवृत्ति की ढाल बन जावें।

अभी दंतेवाडा में एक बस पर आक्रमण करके पैतीस लोंगों की हत्या हुई । इस संबंध में मैने अखबारो में एक बयान दिया है जो इस प्रकार है

''बस्तर में हुए नक्सली आक्रमण में पैतीस से अधिक नागरिक और सुरक्षा बल फिर मारे गये हैं। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ज्ञान यज्ञ परिवार के संरक्षक बजरंग मुनि जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि उक्त आक्रमण मध्यप्रदेश छत्तीसगढ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दिग्विजय सिंह जी की सलाह पर भारत सरकार की नीति में आये परिवर्तन का परिणाम है। छिहत्तर जवानो की हत्या के बाद दिग्विजय सिंह जी ने बयान देकर जिस तरह भ्रम फैलाया वह कोई आकस्मिक घटना न होकर सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ।

मुनि जी ने बताया कि नक्सलवाद के संबंध में दिग्विजय सिंह जी की दोहरी भूमिका बहुत पहले से रही है । एक पूर्व आई ए. एस तथा शान्ति दूत एक ओर तो नक्सलियों से भी निकट सम्पर्क में है तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी के भी खास सलाहकार । पुराने समय में उन्ही शान्ति दूत के कार्यकाल में बस्तर क्षेत्र शेष भारत से अलग थलग होना शुरू हुआ था तथा दिसम्बर पंचान्नवे में सरगुजा के रामानुजगंज क्षेत्र से भी नक्सलियों के प्रवेश का रास्ता साफ कराने में दिग्विजय सिंह जी के वही खास

सलाहकार थे। यदि भारत नेपाल बनता भी है तो दिग्विजय सिंह जी के लिये तो विशेष चिन्ता की बात नहीं किन्तु सोनिया जी मनमोहन जी को तो गंभीरता पूर्वक निर्णय करना चाहिये।

सोनिया जी ने तथा मनमोहन जी ने दिग्विजय सिंह जी की सलाह पर जो मत संशोधन किया उसके पूर्व दिग्विजय सिंह जी की बीस वर्षो की छत्तीसगढ संबंधी नक्सली नीतियों की जांच करानी आवश्यक थी । जिस क्षेत्र को नक्सलवादी अपना मुक्त क्षेत्र घोषित कर रहे हों उस मुक्त क्षेत्र में सरकार को विकास की सलाह देना स्वयं स्पष्ट करता है कि सलाहकार की इच्छा क्या है । मुनि जी ने यह भी कहा कि यदि सोनिया मनमोहन जोडी को यह समझाया गया हो कि केन्द्र को ही जब समस्या सुलझानी है तो केन्द्रीय शासन अन्तर्गत सुलझाने से कांग्रेस को लाभ होगा तो ऐसी हालत में रमणसिंह जी को चाहियें कि वे तत्काल पद छोडकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दें जिससे राजनैतिक टकराव इस संकट काल में बाधक न बने।

मुनि जी ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद न किसी तरह का आतंकवाद है न ही कोई समाजविरोधी कार्य । वह तो सीधा सीधा सत्ता संघर्ष है जिसका स्पष्ट उद्देश्य एक स्थापित संविधान को बन्दूक के बल पर हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना है । यह सीधा–सीधा युद्ध के समान है और उसे बस्तर क्षेत्र में उसी आधार पर मानने की आवश्यकता है।

मुनि जी ने मांग की है कि दिग्विजय सिंह जी की नक्सलवाद संबंधी बीस वर्षो की गतिविधियों को ध्यान में रखकर जॉच भी कराई जानी चाहिये जिससे भविष्य के नीति निर्धारण में किसी तरह का कोई भ्रम पैदा न हो पावें'' ।

यदि आप बयान में कुछ गलत या असत्य पाते हों तो प्रश्न करिये या मुझे बुलाकर पूछिये। मैं प्रमाणित करूॅगा क्योकि मैने जो लिखा है , सब सत्य लिखा हैं।

मेरा एक सीधा सा प्रश्न इन शान्ति दूतों से है कि बस्तर के कुछ भाग पर नक्सलवादियों ने कुछ वर्षो से कब्जा करके उसे मुक्त क्षेत्र घोषित कर लिया है । भारत सरकार उक्त क्षेत्र को नक्सली , नियंत्रण से मुक्त कराने के लिये क्या करें ? क्या अब हम उक्त नक्सल नियंत्रण क्षेत्र में विकास करें ?आप इस कार्य में भारत सरकार को क्या सलाह देते हैं ? मुझे इसका उत्तर चाहिये ?

**(घ) प्रश्न –** नक्सलवाद के संबंध में आपके विचारों से भ्रम होता है । प्रसिद्ध समाजवादी सुरेन्द्र मोहन जी ने बताया है की ग्रामीण क्षेत्रों की बहुमूल्य खदानों को पूॅजीपतियों के हवाले करने के सरकारी षड़यंत्र के विरूद्ध ग्रामीण आंदोलन ही नक्सलवाद है । छत्तीसगढ़, झारखंड , उड़ीसा , बंगाल आदि में यही हो रहा है । ब्रम्हदेव जी शर्मा भी ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं ।उनका मानना है कि आदिवासी समूह को बेदखल करके उनकी जमीनें औद्योगिक धरानों को देने के विरूद्ध आदिवासी आंदोलन का नाम है नक्सलवाद । सर्वोदय के लोग सरकार की योजनाओं को तो पूरी तरह घातक मानकर उसके विरूद्ध जन आंदोलन के समर्थक हैं साथ ही वे नक्सलवादियों को भी अहिंसा हेतु प्रेरित कर रहे हैं । आप इस योजना से असहमत क्यों हैं ?

**उत्तर –** सुरेन्द्र मोहन जी सरकार की नीयत पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं उससे मेरी पूरी सहमति है। ब्रम्हदेव जी शर्मा के ग्राम सभा सशक्तिगरण से भी मेरी सहमति है ।नक्सलवादियों को दी जाने वाली सर्वोदयी सलाह से भी मैं सहमत हूॅ । मेरा अनुभव यह है कि जो लोग कुछ करने की क्षमता नहीं रखते और सक्रिय दिखना चाहते हैं उनमें मैं शामिल नहीं । सरकार की नीयत खराब है और उसके विरूद्ध हम जन आंदोलन की क्षमता नहीं रखते इसलिये हम हिंसक आंदोलन का समर्थन करें, मैं इसके पक्ष में नहीं । मैं स्वयं को इतना सक्षम पाता हूॅ कि सरकार की नीयत के विरूद्ध अहिंसक जन आंदोलन खड़ा करा सकूॅ। यदि ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं करा सका तो ग्राम सभा सशक्तिकरण के पक्ष में कार्य कर रहे हिंसक या अहिंसक आंदोलन का समर्थन भी कर सकता हूॅ , किन्तु सरकार की नीयत के विरूद्ध हिंसक तानाशाही का समर्थन नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में मैं या तो तटस्थ रहूॅगा या तानाशाही हिंसा का विरोध और सरकार का समर्थन करूंगा । मैं तानाशाही, लोकतंत्र और लोक स्वराज्य को अलग अलग मानता हूॅ । मैं वर्तमान लोकतंत्र को लोक स्वराज्य से बहुत बुरा और तानाशाही से बहुत अच्छा मानता हूॅ । पता नहीं सुरेन्द्र मोहन कैसे समाजवादी हैं जो लोहिया जी के जीवन को भी ठीक से नहीं समझते । लोहिया जी जीवन भर संघ परिवार की हिंसा के विरूद्ध रहे । सुरेन्द्र मोहन नहीं समझते क्योंकि सरकार की नीयत के विरूद्ध कुछ कर तो पाये नहीं । इसलिये सरकार के विरूद्ध बोलने लगे, भले ही उनका कथन हिंसक तानाशाही के ही पक्ष में क्यों न जा रहा हो ।

शर्मा जी बार बार आदिवासी आदिवासी चिल्लाते हैं । यह आंदोलन न तो स्व स्फूर्त आदिवासी आंदोलन है न ही बाहर के लोगों द्वारा प्रेरित । यह आंदोलन तो पूरी तरह बाहरी लोगों द्वारा नियंत्रित आंदोलन है जिसमें छत्तीसगढ़ ,झारखंड , उड़ीसा के कुछ लोग वेतन भोगी हैं । इसे जन आंदोलन कह कर प्रचारित करना ही भूल है । जन आंदोलन इस तरह नहीं होता जैसा हो रहा है । एक छोटा सा गिरोह पिस्तौल दिखाकर भीड़ से समर्थन प्राप्त करें तो वह सुरेन्द्र मोहन, ब्रम्हदेव शर्मा, आदि की नजर में जन आंदोलन हो सकता है, मेरी नजर में नहीं ।

मैं फिर से स्पष्ट कर दूॅ कि हम लक्ष्य स्पष्ट करें और मार्ग पर सोचें । हमारा लक्ष्य है लोक स्वराज्य और मार्ग है ग्राम सभा सशक्तिकरण । इससे आगे सोचने करने का मेरे पास समय नहीं हैं। यदि तानाशाही को लक्ष्य और हिंसा को मार्ग बनाकर सुरेन्द्र मोहन भी नेतृत्व करेंगे तो मैं उनका पूरा पूरा विरोध करूॅगा ।